दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

लोकसभा निर्वाचन में वाहन अधिग्रहण के लिए वाहन मालिकों से आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन कार्य के लिए वाहनों की व्यवस्था हेतु वाहन मालिक से आवेदन आमंत्रित है। निर्वाचन कार्य के लिए इच्छुक नागरिक अपने निजी वाहन जैसे-कार, ट्रेक्टर, बड़े-छोटे मालवाहक आदि अधिग्रहित (किराये) पर अधिग्रहित करा सकते हैं। वाहन अधिग्रहण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय मंडी परिसर सारंगढ़ में आवेदन जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए सहायक नोडल अधिकारी वाहन विरेन्द्र जोल्हे से 9303919139 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिग्रहण के लिए वाहन और वाहन चालक के वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। निर्वाचन के बाद इन अधिग्रहित वाहनों के किराए का भुगतान किया जाएगा।

दो लड़कों पर चाकू से हमला, अस्पताल में भर्ती

रायपुर (आरएनएस)। गुढियारी में चाकूबाजी की वारदात हुई है। घायल 2 लडक़ों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। वारदात के बारे में एसआई ने बताया कि घायल लडक़े जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। इस दौरान लोचन और आयुष नाम के आरोपियों ने जबरन गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने चाकू सामान हथियार से हमला किया। जिससे परमेश्वर और रौनक सिंह घायल हो गए। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर है। बता दें कि पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते 5 धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक टीम गठित कर जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है।

जवान और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़, विस्फोटक सामान छोड़कर भागे माओवादी

पंखाजूर (आरएनएस)। पिछले कुछ समय से नक्सली लगातार मुठभेड़ और अन्य बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सुरक्षाबलों द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी नक्सली बड़ी वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नक्सलियों द्वारा लगातार बड़ी वारदातों को दिए जा रहे अंजाम से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं एक बार फिर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ लगभग 5 घंटे तक चली है। मिली जानकारी के अनुसार, भूमकन जंगल में जवान गस्त पर निकले थे। इस दौरान अचानक नक्सली भी वहां पहुंच गए और जवानों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक यह मुठभेड़ चली। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए।

नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को मिली सफलता, एक माओवादी गिरफ्तार

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। दंतेवाड़ा में नक्सली उन्मूलन अभियान में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस दल द्वारा एक नक्सली को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि पुलिस को कटेकल्याण थाना अंतर्गत गोपनीय सूचना मिली थी। जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों के आवाजाही की सूचना थी। इसके आधार पर कटेकल्याण थाना बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के तुमकपाल दल को रवाना किया गया। पुलिस दल के नड़ेनार पहुंचने पर एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की। जिसमें उसकी पहचान हड़मा कवासी उर्फ सुईका 52 वर्ष के रूप में हुई। उक्त व्यक्ति कटेकल्याण थाना अंतर्गत नड़ेनार का निवासी है। कटेकल्याण थाना में उक्त व्यक्ति पर वर्ष 2019 में अपराध दर्ज किया गया था।

छुट्टी के दिन भी लिए जा रहे हैं ओटीएस के आवेदन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों की सुविधा के लिए ओटीएस के आवेदन छुट्टी के दिन भी लिए जा रहे हैं। इसके तहत 30 और 31 मार्च की शासकीय अवकाश के दिन भी आवेदन लिए जाएंगे। राज्य शासन ने वैट के पुराने बकाया के एकमुश्त निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम (ओटीएस) के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि को सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है। मार्च माह के अंतिम 3 दिन (29, 30 और 31 मार्च) लगातार शासकीय अवकाश है, इससे कई व्यापारी/करदाता आवेदन करने से वंचित न हो, इसको देखते हुए राज्य कर आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर सभी संभाग वृत्त कार्यालयों में कर्मचारियों की ड्यूटि विशेष रूप से ओटीएस के आवेदन प्राप्त करने के लिए लगाई गई है, जिससे शासन की योजना का लाभ लेने किसी बकायेदार को वंचित न होना पड़े।

लोकसभा निर्वाचन-2024 : निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी निशुल्क चिकित्सा सुविधा

❐ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर | आरएनएस

लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 3 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित बालाजी अस्पताल मोवा, नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर तथा रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम स्थित अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।

राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से निगरानी दलों द्वारा 25 करोड़ रुपए की नगदी और वस्तुएं जब्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक 25 करोड़ 8 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 28 मार्च तक 5 करोड़ 28 लाख रुपए की नगद धन राशि जब्त की गई हैं। इस दौरान 17311 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 41 लाख रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान एक करोड़ 48 लाख रुपए कीमत के 784 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा 94 लाख रुपए कीमत के 23 किलोग्राम कीमती आभूषण भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 16 लाख 96 हजार रुपए कीमत की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं।

88 पाव देशी व अंग्रेजी शराब के साथ महिला गिरफ्तार

❐ ढिमरापुर चौक पर कोतवाली पुलिस ने की शराब रेड कार्रवाई

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर अवैध शराब पर कार्यवाही के क्रम में कल कोतवाली पुलिस द्वारा ढिमरापुर चौक पर अवैध शराब बेच रही महिला को पकड़ा गया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 28/03/2024 के रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल को मुखबीर से सूचना मिली कि ढिमरापुर चौक पर एक चाय ठेले के पीछे एक महिला अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए भारी मात्रा में शराब रखे हुए है। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल महिला उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर के हमराह स्टाफ भेज कर कार्यवाही करने निर्देशित किया। मौके पर कोतवाली पुलिस द्वारा अफसाना परवीन पति मोहम्मद हाफिज उम्र 43 साल निवासी पुरानी बस्ती ढिमरापुर चौक, थाना कोतवाली रायगढ़ नाम की महिला से उसके चाय ठेले के पीछे अवैध बिक्री के लिए रखे अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है आरोपिया के कब्जे से 45 पाव देशी प्लेन, 40 पाव गोवा अंग्रेजी शराब और 3 पाव देशी मसाला प्लेन शराब कुल 88 पाव देशी/अंग्रेजी शराब मात्रा 16.200 लीटर जुमला कीमती रु.8,550 का जप्त किया गया है। आरोपिया के विरुद्ध थाना कोतवाली में आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, महिला प्रधान आरक्षक अरुण चौरसिया, प्रधान आरक्षक जगदीश नायक, आरक्षक जगमोहन ओग्रे और बनारसी सिदार शामिल थे।

'7 मई को करना है मतदान', गांव-गांव में ली गई शपथ

❐ जिले के सभी विकासखंडों में चला मतदाता जागरूकता अभियान

रायगढ़

निर्वाचन की प्रक्रिया में एक जिम्मेदार मतदाता की भूमिका निभाते हुए आगामी लोकसभा निर्वाचन में 07 मई को शत-प्रतिशत वोटिंग के लिए प्रेरित करने कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन और स्वीप के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में जिले के सभी गांवों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जहां लोगों ने निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ अपने परिवार और आस-पास के सभी मतदाताओं को वोटिंग के लिए शपथ ली। स्वीप कार्यक्रम के तहत गांवों में लोगों ने सामूहिक शपथ के साथ रैली भी निकाली। रंगोली बनाकर 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया गया। इस आयोजन में वरिष्ठ मतदाताओं, महिलाओं के साथ युवा भी शामिल हुए।

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु घोषित कार्यक्रम के अनुसार रायगढ़ लोकसभा के लिए तृतीय चरण में मतदान होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 अप्रैल 2024 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। 20 अप्रैल 2024 को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। 22 अप्रैल 2024 नाम वापसी की अंतिम तिथि है। मतदान 07 मई 2024 को होगा और 04 जून 2024 को मतगणना होगी।

बहू के साथ ससुर ने की हाथापाई, नाराज बेटे ने कर दी पिता की हत्या

❐ आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा

कोरबा

होली के दिन बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बहू के साथ विवाद करते हुए हाथापाई करने से नाराज होकर बेटे ने गला दबा कर पिता की हत्या कर दी थी। शव को फर्श में रख घटना को सामान्य बताने की कोशिश भी उसने की, पर जांच के दौरान उसकी पोल खुल गई। घटना के वक्त मृतक की मां घर पर नहीं थी, वापस लौटने पर उसे भी गुमराह करने की कोशिश किया।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार हरदीबाजार थाना के ग्राम गुमिया में रहने वाले गिरधारी लाल बियार की लाश 25 मार्च की रात को घर के कमरा में पड़ी मिली। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया, तो देखा कमरे में शव पड़ा था। सिर पर चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। पूछताछ करने पर मृतक के पुत्र ने पहले तो अनजान बनने की कोशिश की, पर संदेह उस पर गहराया और सख्ती बरती गई, तो उसने, पिता की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि होली के दिन दोपहर में उसकी पत्नी के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की। सीन आफ क्राइम प्रभारी सत्यजीत कोसरिया से घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी मिली की कि होली त्यौहार के दिन मृतक गिरधारी लाल बियार तथा उसका पुत्र नर्मदा कुमार बियार 25 वर्ष दोनों शराब के नशे में गांव में त्यौहार मनाए। इसका बाद घर पहुंचने पर नर्मदा कुमार की पत्नी अनिता बियार तथा मृतक गिरधारी के मध्य खाना देने की बात पर झगड़ा हुआ। विवाद बढने पर अनिता तथा गिरधारी के मध्य मारपीट हो गई थी। इससे दोनों को सिर पर चोंट लगी थी। इससे नाराज होकर अनिता घटना के बाद घर से हरदीबाजार आ गई। इससे नर्मदा ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पिता के साथ विवाद करते हुए कहा कि उसके विवाद कर मारपीट करने से पत्नी अनिता अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली गई। पिता व पुत्र के मध्य जब विवाद काफी बढ़ गया, तो नर्मदा कुमार अपने पिता गिरधारी की गला घोंटकर हत्या कर दिया। आरोपित को गिरफ्तार पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा दिया।

घटना के बाद नर्मदा ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को बाए तरफ करवट कर फर्श पर लेटा दिया और कमरे का दरवाजा को बंद कर अपने कमरे में जाकर सो गया। इस बीच उसकी मां (गिरधारी की पत्नी) भी होली मनाकर घर लौटी, तब नर्मदा ने उसे भी सोने बोल दिया। देर रात होने पर नर्मदा ने अपने मां को बोला कि पिता मृतक गिरधारी को खाना खिला दो। मृतक की पत्नी कमरा में जाकर आवाज दी, पर कोई हलचल नही हुई। इस पर मृतक की पत्नी ने नर्मदा को पिता के पास जाकर उठाने कहा। नर्मदा ने कमरे के बाहर जाकर आवाज देने का बहाना किया और फिर अपनी मां को बोला कि अंदर से कोई हलचल नही हो रही है। साथ ही अपने मां के साथ कमरा के अंदर जाकर मृतक को उठाने का पुनरू बहाना करने लगा। पिता के नहीं उठाने पर रोने चिल्लाने का नाटक करते हुए मृत्यु होने की सूचना अन्य रिश्तेदारों को दिया।

वैधानिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और डाक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया। इसमें मृतक की हत्या गला घोंटने से होने की जानकारी सामने आई। इस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरूद्ध धारा 302, 201 कायम कर विवेचना शुरू की। पुत्र नर्मदा कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, तब उसने जुर्म करना स्वीकार किया। उसने बताया कि होली त्यौहार के दिन मृतक द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने से उसके बच्चों के साथ चली जाने से नाराज था। उसने बताया कि अनिता के साथ उसका विवाह वर्ष 2020 से हुआ, तब से लेकर घटना दिनांक तक पिता गिरधारी और पत्नी के मध्य विवाद झगड़ा हमेशा होता रहता था। इसी वजह से पिता गला घोंट कर हत्या कर घटना को छिपाते हुए सामान्य मृत्यु होने की अपने परिजनों व ग्रामीणों को बताया।

बरमकेला, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में किया गया मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और जन जन को मतदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए जिले के तीनो विकासखंड सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला में स्कूल शिक्षा विभाग और प्रभारी खेल अधिकारी के नेतृत्व में बाइक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इसमें सारंगढ़ बीईओ रेशम लाल कोशले, खेल प्रभारी अधिकारी कौशल ठेठवार, फकीरा यादव सहित अन्य शिक्षक गण उत्साह के साथ शामिल हुए। सारंगढ़ के खेलभाठा मैदान से और बिलाईगढ़ में शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय से मतदाता जागरूकता बाइक रैली की शुरुआत की गई।

जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने ईओडब्ल्यू को मिली अनुमति

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा, शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले में एसीबी जांच में तेजी आई है। ईओडब्ल्यू को जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। 29 मार्च से 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से एसीबी, ईओडब्ल्यू की टीम जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। इसके लिए स्पेशल कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

एसीबी 29 मार्च से दो अप्रैल के बीच अलग-अलग दिनों में अलग-अलग प्रकरणों में पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत में एसीबी की ओर से तीन आवेदन पेश किए गए थे। इन आवेदनों में जेल में बंद आरोपितों से पूछताछ की मांग की गई थी। शराब घोटाला, महादेव सट्टा एप और कोयला घोटाला मामले में आवेदन अदालत में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने पेश कर विशेष न्यायाधीश से आग्रह किया कि ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी ने कोयला स्कैम, महादेव सट्टा एप घोटाला और शराब घोटाला मामले में अपराध दर्ज किया है। विवेचना में आरोपितों से पूछताछ की आवश्यकता है। ईडी की विशेष अदालत ने एसीबी की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल में निरुद्ध आरोपितों से पूछताछ की अनुमति दी है।

जिन विचाराधीन कैदियों से पूछताछ होनी है उनमें शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी मामले में असीम दास, भीम यादव और सतीश चंद्राकर और कोयला घोटाला मामले में समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग और नायर शामिल हैं। एसीबी से संकेत मिले हैं कि इन मामलों में विचाराधीन बंदियों से पूछताछ के बाद एसीबी की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

महिला क्रिकेट का आगाज

स्टेट ट्रायल के लिए तैयार की रही टीम, हर उम्र वर्ग से 15 खिलाड़ी होंगी शामिल

रायगढ़ | आरएनएस

बीसीसीआई के निर्देश पर सीएससीएस के द्वारा आदेशित करने से जिला क्रिकेट संघ के द्वारा महिला क्रिकेट स्टेट ट्रायल के लिए टीम तैयार की जा रही है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचन्द्र शर्मा ने बताया कि अंडर 15, अंडर 19, अंडर 23 एवं सीनियर महिला खिलाडिय़ों के लिए स्टेट ट्रायल राज्य में 5 स्थानों पर किया जाना है। जिला रायगढ़ को ईस्ट जोन छत्तीसगढ़ ग्रुप में रखा गया है। जिसमें बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चाँपा भी शामिल है। ईस्ट जोन का ट्रायल 7 अप्रैल को प्रात: 7 बजे से किया जाना है। जो बिलासपुर के रघुराज स्टेडियम में आयोजित होगा। इसी तरह अन्य ग्रुप के ट्रायल कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर एवं अंबिकापुर में आयोजित होंगे। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संतोष पाण्डेय ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला क्रिकेट खिलाडिय़ों को ट्रायल में शामिल होने की अपील की है।

यह है नियमावली

सचिव रामचन्द्र शर्मा ने बताया कि सभी उम्र वर्ग के 15-15 महिला खिलाडिय़ों का चयन जिले से कर राज्य ट्रायल के लिए बिलासपुर भेजा जाएगा। अत: जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़ के सभी महिला खिलाडिय़ों को 3 अप्रैल तक रायगढ़ जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय में अपना-अपना पंजीयन करवाने की तिथी तय की गई है। राज्य ट्रायल के लिए जिला क्रिकेट संघ के माध्यम से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सभी क्लास की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 4 फोटो, लाकर जिला कार्यालय में 3 अप्रैल तक पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। सभी प्रमाणपत्र की ओरिजनल लेकर आना अनिवार्य है। यह पंजीयन प्रात: 11 से 1:00 एवं शाम 5:00 से 8:00 बजे तक किया जाएगा। अन्य नियम में अंडर 15 के लिए उम्र की सीमा 1-9-2009 से 31-8-2011 के बीच हो, अंडर 19 के लिए उम्र सीमा 1-9-2005 या उसके बाद का जन्म होना चाहिए। इसी तरह अंडर 23 के लिए जन्म 1-9-2001 को या उसके बाद होना चाहिए। ट्रायल के लिए कलर ड्रेस पहनकर उपस्थित होना है। साथ ही अपना कीट खुद लाना है। ट्रायल सफेद गेंद में आयोजित होगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480